भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-08022024-251954 SG-DL-E-08022024-251954

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 8, 2024/माघ 19, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 426 No. 56] DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 8, 2024/MAGHA 19, 1945 [N. C. T. D. No. 426

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां

अधिसूचना

दिल्ली, 5 फरवरी, 2024

फा. सं. 5/60/ 2022/स्था./सह./विवि./भर्ती नियम/126.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59—एमआईएन (H) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा रिजस्ट्रार सहकारी समितियां विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद हेतु निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (i) इन नियमों को रिजस्ट्रार सहकारी समितियां विभाग, मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती नियमावली—2023 कहा जाए।
 - (ii) ये दिल्ली के शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन—स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं इत्यादि :- उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले इन नियमों के साथ संलग्न उक्त अनुसूची की कॉलम संख्या (5) से (13) में विनिर्दिष्ट होंगे।

- अयोग्यता :- वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
 - (ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

- 5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
- 6. बचाव :— इन नियमों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद हेतु भर्ती नियम कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, संसद मार्ग, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

| 1. | पदनाम | : | मल्टी टास्किंग स्टाफ |
|-----|---|---|---|
| 2. | पदों की संख्या | | 27* (2023) |
| | | | * (परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर) |
| 3. | वर्गीकरण | | सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह—'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय |
| 4. | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | ; | वेतन मैट्रिक्स में स्तर—1 (रुपये 18000—56900 / —) |
| 5. | क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद | : | लागू नहीं |
| 6. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा | 1 | 18-25 वर्ष के बीच* |
| | | | (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) |
| | £) | | टीप :- आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी। |
| | .5 B | | * यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी द्वारा पदों को भरा जाना हो, तो आयु सीमा 18—27 वर्ष के बीच होगी। |
| 7. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं | : | अनिवार्यः— मान्यता—प्राप्त बोर्ड/संस्थान से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष उत्तीर्ण। |
| 8. | क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। | : | लागू नहीं |
| 9. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है | : | दो वर्ष |
| 10. | भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा | : | सीधी भर्ती द्वारा |
| 11. | यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो | : | लागू नहीं |
| 12. | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है। | : | समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) |
| | | | 1. प्रधान सचिव / सचिव (लो.नि.वि.) — अध्यक्ष |
| | | | 2. संबंधित विभागाध्यक्ष - सदस्य |
| | | | उप–सचिव (शह.वि.) – सदस्य |

| | | | टीप: — यदि विभागीय पदोन्नित समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से किनष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नित समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। |
|-----|---|---|--|
| 13. | वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। | 3 | लागू नहीं |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

प्रदीप कुमार, उप-पंजीयक (सहकारी)

OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES NOTIFICATION

Delhi, the 5th February, 2024

No. F. 5/60/2022/Estt./Coop./Misc./RR/126.— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F.27/59-Min (H) dated the 13th July, 1959, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make following recruitment rules for the post of MULTI TASKING STAFF in the Registrar Cooperative Societies Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

- 1. Short title and commencement (i) These rules may be called the Department of Registrar Cooperative Societies, Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2023.
 - (ii) They shall come into effect on the date of their publication in the Official Gazette of Delhi.
- 2. Number of post, classification and pay level in the Pay Matrix- The number of said posts, its classification and pay level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) to the schedule annexed to these rules.
- 3. Method of Recruitment, age limit, qualification etc. The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be specified in columns number (5) to (13) of the said Schedule annexed to these Rules.
- 4. Disqualifications- No Person,
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse, or
 - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to Relax.- Where the Government of National Territory is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time in this regard.

RECRUTMENT RULES FOR THE POST OF MULTI TASKING STAFF (MTS) OFFICE OF REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES, PARLIAMENT STREET, GOVT. OF NCT OF DELHI.

| 1. | Name of the post | Multi Tasking Staff |
|----|-------------------------|--|
| 2. | Number of Posts | 27* (2023) |
| | | *(Subject to variation Dependent on workload) |
| 3. | Classification | General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial |
| 4. | Level in the Pay Matrix | LEVEL 1 (Rs. 18000- 56900/-) of the pay matrix |

| 5. | Whether selection or non- selection post | Not Applicable |
|-----|--|--|
| 6. | Age limit for direct recruits | Between 18-25 years* (Relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note-: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Competent Authority. *In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 years and 27 years. |
| 7. | Educational and other qualifications required for direct recruits | Essential: Matriculation or equivalent pass from Recognised Board/Institute. |
| 8. | Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees | Not Applicable |
| 9. | Period of probation, if any | Two years |
| 10 | Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion) | By Direct Recruitment |
| 11. | In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption) | Not Applicable |
| 12. | If a DPC exists, what is its composition | Group-'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation): 1. Principal Secretary/Secretary (PWD), 2. Head of the Department Concerned 3. Dy. Secretary (UD) Note:- Senior most member of the Departmental Promotion Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairman of the Departmental Promotion Committee happens to be junior to another member of Departmental Confirmation Committee. |
| 13. | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment | Not Applicable |

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

PRADEEP KUMAR, Dy. Registrar (Cooperative)